18/07 तहसीलदार बनाम रामजीलाल

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहवाल हुक्म में
18-11-2020	दि० 17-11-2020 का अवकाश होने पर आज पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-12-2020 को पेश हो। रीडर	
22-12-2020	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 19-1-2021 को पेश हो। रीडर	
19-1-2021	लैण्ड होल्डर तहसीलदार उप०। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र दि० 17-8-2019 के अनुसार मृतक रामजीलाल के वारिसों को रेकार्ड पर लिया जाता है। बहस तहसीलदार गंगापुर सिटी सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 29-1-2021 को पेश हो।	
29-1-2021	लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] हो। उप [illegible] कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर.ए.एस.,
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18/2007	12.3.2007	29.1.2021

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र सोना ब्राह्मण नि. खानपुरबडोदा तह.गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 गजानंद पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण नि. खानपुरबडोदा तह.गंगापुर सिटी
1/2 तुलसी पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण नि. खानपुरबडोदा तह.गंगापुर सिटी
1/3 महेश पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण नि. खानपुरबडोदा तह.गंगापुर सिटी
1/4 रामपति पत्नी रामजीलाल, ब्राह्मण नि. खानपुरबडोदा तह.गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खानपुर बडोदा की खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2012 लगायत 2022 में आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 253 रकबा 9 विस्वा, 334 रकबा 8 बिस्वा, 335 रकबा 10 विस्वा माफी मन्दिर श्री गोपाल जी पुजारी कन्हैयादास चेला स्वरूपदास कोम ब्राह्मण सा0 गंगापुर की खातेदारी में दर्ज है। भूमि एकीकरण खतौनी सम्बत 2016 में पैरा संख्या 1 में अंकित खसरा नम्बर 252 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा में से 4 विस्वा, 253 रकबा 9 विस्वा, 334 रकबा 8 विस्वा, 335 रकबा 10 विस्वा व अन्य खातेदारान के खसरा नम्बर 336 रकबा 6 विस्वा, 337 रकबा 7 विस्वा, 339 रकबा 7 विस्वा को मिलाकर भूमि एकीकरण विभाग ने खसरा नम्बर 223/1 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा बनाकर रामजीलाल पुत्र सोन्या ब्राह्मण साकिन खानपुर बडोदा के नाम बिना किसी आदेश /नामा0 के अवैधानिक रूप से दर्ज कर दिया है। उक्त एकीकरण खसरा नम्बर 223/1 में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी की खातेदारी की भूमि 1 बीघा 11 विस्वा शामिल है। हाल भू प्रबन्ध विभाग ने एकीकरण खसरा नम्बर 223/1 के हाल नम्बर 284 रकबा 0.37 है0 एवं 282 रकबा 0.28 है0 बनाकर रामजीलाल पुत्र सोन्या ब्राह्मण की खातेदारी में बिना किसी आदेश /नामा0 के अवैधानिक रूप से दर्ज किया है एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2061–64 में खसरा नम्बर 284 रकबा 0.37 है0 व 282 रकबा 0.28 है0 भूमि की खातेदारी रामजीलाल पुत्र सोन्या ब्राह्मण निवासी खानपुर बडौदा के नाम दर्ज है। इन दोनो खसरा नम्बरान को मुताबिक साबिक हाल नक्शा ट्रेस मिलान के खसरा नम्बर 284 रकबा 0.37 है0 मन्दिर श्री गोपालजी की खातेदारी की भूमि है। जो माफी मन्दिर श्री गोपालजी विराजमान सा0 देह के नाम होना विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

...कर माफी मन्दिर श्री गोपालजी विराजमान ... दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 19.7.2007 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 6.12.2007 को अप्रार्थी रामजीलाल की ओर से श्री शिवकुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही निरस्त की गई। इसके पश्चात अप्रार्थी की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया एवं दिनांक 16.12.2008 को अप्रार्थी एवं इनके वकील के अनुपस्थित होने पर पुनः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 9.4.2019 को पुनः आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर एकतरफा कार्यवाही हटाने का निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक 20.8.2019 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हटाने का आदेश दिया गया। दिनांक 17.9.2019 को अप्रार्थी के वकील ने बताया कि अप्रार्थी रामजीलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को मृतक रामजीलाल के कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मृतक रामजीलाल के वारिसो को रिकार्ड पर लिया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012–22, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, नकल खतौनी संवत 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, नकल खतौनी भूप्रबन्ध संवत 2039, नकल जमाबंदी संवत 2061 –64, साबिक व हॉल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है एवं तहसीलदार बनवारी लाल शर्मा के बयान करवाये है।

प्रार्थना पत्र पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की बहस सुनी गई।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012–20.. के अनुसार भूमि ख0न0 252 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा ख0न0 253 रकबा 9 बिस्वा माफी मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी मे दर्ज है। नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012–2022 के अनुसार भूमि ख0न0 334 रकबा 8 बिस्वा, 335 रकबा 10 बिस्वा माफी मंदिर गोपालजी की खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

एकीकरण के अनुसार ख0न0 252/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से एकीकरण ख0न0 221 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं साबिक ख0न0 253 व ख0न0 222/2 कुल रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 335 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 334 रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 336 रकबा 6 बिस्वा, ख0न0 337 रकबा 7 बिस्वा, ख0न0 339 रकबा 7 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से एकीकरण ख0न0 223/1 रकबा 2 बिस्वा 11 बिस्वा बनाया गया है। नकल जमाबंदी भूमि एकीकरण संवत 2039 के अनुसार ख0न0 223/1 को अप्रार्थी रामजीलाल की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया। भूप्रबन्ध मे भी इसी प्रकार खातेदारी रामजीलाल के नाम दर्ज हुई है। तहसीलदार के कथनानुसार भूप्रबन्ध के दौरान इस भूमि को ख0न0 284 रकबा 0.37 है0 जो कि पूर्व मे मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी भूमि रही है को गलत रूप से अप्रार्थी रामजीलाल की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया है। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी रामजीलाल की खातेदारी मे माफी मंदिर श्री गोपाल जी की भूमि गलत रूप से दर्ज की गई है जो पुनः माफी मंदिर श्री गोपाल जी की खातेदारी मे दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 284 रकबा 0.37 है0 भूमि स्थित ग्राम खानपुर बडौदा अप्रार्थी की खातेदारी से कम की जाकर मंदिर श्री गोपालजी विराजमान देव की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)